रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 22.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 61] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 27, 1971/वैशाख 7, 1893

No. 61] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 27, 1971/VAISAKHA 7, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## MINISTRY OF FOREIGN TRADE

### PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

*New Delhi, the 27th April 1971*

SUBJECT.—*Import Policy for Registered Exporters for the year April 1970—March 1971 (Amendment No. 67).*

**No. 41-ITC(PN)/71.**—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in Volume II of the Import Trade Control Policy Book (Red Book) for the year April 1970—March 1971 issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 43-ITC(PN)/70, dated 31st March, 1970.

2. The following amendments may be made at the appropriate places as indicated below:—

| Page No. of the Red Book (Vol. II) | Reference | Amendments |
|---|---|---|
| 121-124 | B. 46.1, 46.2, 46.3 46 7 and B. 46.8<br>Col. 5 | The existing remarks (1) in col. 5 may be deleted. |

## विदेश व्यापार मन्त्रालय

### सार्वजनिक सूचना

### आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1971

विषय.—अप्रैल, 1970 मार्च, 1971 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन संख्या 67)

सं० 41-आई० टी० सी० (पी० एन०)/71.—विदेश व्यापार मन्त्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 48–आई टी सी (पी एन)/70, दिनांक 31–3–1970 के अन्तर्गत अप्रैल, 1970–मार्च, 1971 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियन्त्रण नीति पुस्तक (रैड बुक) के वालुम दो में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थलो में किए जाएं .—

| रैडबुक (वा० 2) की पृष्ठ सं० | संदर्भ | संशोधन |
|---|---|---|
| 121–124 | बी. 46. 1. 46. 2, 46. 3, 46. 7 तथा बी. 46 8<br>कालम—5 | कालम 5 में वर्तमान टिप्पणी (1) को हटाया जाय । |

SUBJECT.—*Import and Exports of goods from and to Nepal.*

**No. 42-ITC(PN)/71.**—Attention is invited to the Ministry of Foreign Trade Public Notice No 192-ITC(PN)/70, dated the 31st December, 1970, on the above subject.

2. Paragraph 1 of the aforesaid Public Notice relating to the abeyance of paragraph 180 of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1970 is hereby deleted. Imports from and exports to Nepal will be regulated, until further orders, in accordance with the rules and instructions, issued from time to time, except as provided in paragraphs 3 and 4 below:

3. Exports from India to Nepal of the following goods will be maintained, in accordance with the procedures as were obtaining prior to December 31, 1970

(i) Salt.
(ii) Sugar.
(iii) Cloth.
(iv) Petre Oil and Lubricants including Kerosene.
(v) Coal and charcoal.
(vi) Pharmaceuticals and medicines
(vii) Milk and milk products.
(viii) Wheat and wheat products.

(ix) Vegetable oils other than coconut oil.
(x) Pulses other than masoor dal.
(xi) Cotton seeds.
(xii) Cattle, sheep and goat.

4. Imports from Nepal of the following goods produced in Nepal will be free from Import Trade Control.

(i) Products of agriculture, horticulture, animal husbandary, farm, forest or fishery or any mineral either in its natural form or in such processed form as is customarily done for marketing like, for example,
(a) Beeswax and Honey.
(b) Eggs.
(c) Fresh fruit and vegetables.
(d) Fuel wood and charcoal.
(e) Jaggery (Gur and Shakkar).
(f) Jute including Jute waste.
(g) Maize.
(h) Milk, Khoya, butter and ghee, chhana.
(i) Oil seeds, oil nuts and oil kernels.
(j) Potatoes and onions.
(k) Pulses and flour thereof.
(l) Raw wool and Goat hair.
(m) Rice.
(n) Sawnlog roughly squared.
(o) Spices.
(p) Vegetable oils (Ghani produced) and oil cakes (Ghani produced).
(q) Wheat and wheat products.
(r) Wooden sleepers and other shaped wood.
(ii) Live animals born and raised in Nepal.
(iii) Edible products of hunting or fishing (birds and fish).
(iv) Articles of daily use produced by village artisans.
(v) Ayurvedic and herbal medicines.

P. K. SAMAL,
Chief Controller of Imports and Exports.

विषय.—नेपाल से तथा नेपाल को माल का आयात और निर्यात ।

सं० 42-आई० टी० सी० (पी० एन०)/71.—उपर्युक्त विषय पर, विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 192 आई० टी०सी० (पी०एन०)/70, दिनांक 31 दिसम्बर 1970 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा कार्यविधि हैंडबुक, 1970 की कंडिका 180 के स्थान मे सम्बन्धित उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना कंडिका 1 को एतद्द्वारा हटाया जाता है । नीचे की कंडिका 3 तथा 4 में दी गई व्यवस्थाओं को छोडकर, समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, आगामी आदेशों के जारी होने तक, नेपाल मे तथा नेपाल के लिए आयात और निर्यात को नियमित किया जायगा ।

3. 31 दिसम्बर, 1970 से पूर्व जैसी प्रक्रियाएं प्राप्त की जा रही थीं उसी के अनुसार निम्नलिखित मदों का भारत से नेपाल को निर्यात जारी रखा जायगा :—

(1) नमक

(2) चीनी

(3) वस्त्र

(4) मिट्टी तेल सहित पैट्रोल तेल और चिकनाइयां

(5) कोयला और काठ कोयला ।

(6) दवाइयां तथा औषधियां

(7) दुग्ध और दुग्ध के उत्पाद

(8) गेहूं और गेहूं के उत्पाद

(9) नारियल तेल को छोड़कर वनस्पति तेल ।

(10) दाल, मसूर की दाल को छोड़कर ।

(11) बिनोले ।

(12) पशु, भेड़ और बकरी ।

4. नेपाल, मे उत्पादित निम्नलिखित वस्तुओं का वहां से आयात, आयात व्यापार नियंत्रण से मुक्त होगा :—

1) कृषिगत, बागवानी, पशुपालन, कृषि, वन या मीन के उत्पाद, या अपने प्राकृतिक रूप में या बाजार के लिए साधित रूप में जो प्रचलनानुसार किया जाता है ऐसे कोई खनिज, उदाहरणार्थ :—

(क) मधुमोम तथा मधु ।

(ख) अन्डे ।

(ग) ताजे फूल और सब्जियां ।

(घ) ईधन की लकड़ी और काठ कोयला ।

(ङ) गुड़ (गुड़ या शक्कर) ।

(च) पटसन, चिथड़ों सहित पटसन ।

(छ) मकई ।

(ज) दुग्ध, खोआ, मक्खन और घी, छैना ।

(झ) तेल बीज, तेल वाले गिरीदार फल और तेल गिरी ।

(ञ) आलू और प्याज ।

(ट) दालें और उनका आटा ।

(ठ) कच्चा ऊन और बकरी के बाल ।

(ड) चावल ।

(ढ) सानलाग साधारणतया वर्गाकार ।

(ण) मसाले ।

(त) वनस्पति तेल (धानी उत्पादित) तथा खली (धानी उत्पादित )।

(थ) गेहूं और गेहूं के उत्पाद ।

(द) लकड़ी के स्लीपर तथा अन्य आकार की लकड़ी ।

(2) नेपाल से उत्पन्न तथा पालन पोषण किए गए जीवित पशु ।

(3) मछली या शिकार के खाद्य उत्पाद (पक्षी और मछली) ।

(4) ग्रामों के शिल्पकारों द्वारा उत्पादित प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली वस्तुएं ।

(5) आर्युर्वेदिक और जड़ी बूटी वाली औषधियां ।

पी० के० समाल,
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971